

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सोलर बनाम काठू

कार्यवाही अन्तर्गत 128 CrAet

प्रतीका पत्र नं. 57 सन् 2020

किस्म मुकदमा नं. सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>17/11/2024</p> <p>2020</p> <p>00108</p>	<p>पत्रावली प्रकाशित गांवों के सगे कमिश्नर 2020 के तहत आगम कश्मेर पर आयोजित चिठिर में निस्कारण हेतु जारी गई। हमारे पत्रावली का अखलापक किया। प्रतीगित धनेतरुई पर ए० कश्मेर स्थित आराजी संख्या 45, 455/51 कील 2 रकब 2-3500 हे की पत्थरगदी करण चाहते हैं। पत्रावली में संलग्न नकाश जमावरी (संख्या 2068-2071) अनुसार उक्त आराजीयत प्रतीगित की लपुस खालेदारी की हैं। अतः प्रतीगित का प्रतीगित पत्र अन्तर्गत धारा 128 CrAet खीका किया जाकर गुम धनेतरुई पर ए० कश्मेर स्थित आराजी संख्या 45, 455/51 कील 2 रकब 2-3500 हे। भूमि की खिण किली के कलजे में दखलन्दाजी किए खेरलमेन्ट नम्बरे अनुसा पत्थरगदी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 1500000 एक हजार पांच से रुपये प्रतीगित वहन करेगे। पालनाय लसीलवार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पत्थरगदी के लिखित सूचना देकर निपमानुका पत्थरगदी की जावे एवं पालना रिपोर्ट आया एम से प्रस्तुत करे। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	
	<p>(श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	

